

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।


पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



## 'मिशन शक्ति' फेज-5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक- 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गांवों चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे- वुमेन पावर लाइन **1090**, महिला हेल्पलाइन **181**, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076**, पुलिस आपातकालीन सेवा **112**, चाइल्ड हेल्पलाइन **1098**, स्वास्थ्य सेवा **102** एम्बुलेंस सेवा **108** व साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारे जानकारी देते हुए **24** घण्टे पुलिस सहायता प्रदान किये जाने व थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जी गयी एवं साथ ही साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-**1930** की जानकारी देकर किया गया जागरूक ।



**“पुलिस स्मृति दिवस” के अवसर रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में पुलिस के अमर शहीद जवानों को श्रद्धा-सुमन/पुष्प चक्र अर्पित करते हुए दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि--**  
**“देश की सेवा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को सलाम...!! पुलिस स्मृति दिवस पर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि...,आपकी कुर्बानी हमारी सुरक्षा की नींव है...।”**

प्रत्येक वर्ष की भाँति आज दिनांक- 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्री पलाश बंसल, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस लाइन में प्रतीकात्मक शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कर्तव्यपथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी तथा सुसज्जित गार्ड द्वारा शोक सलामी दी गयी, इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के संदेश से सभी को अवगत कराते हुए विगत एक वर्ष में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को याद करते हुए उनकी शौर्य गाथा बताई गई व वीर जवानों की स्मृति में 02 मिनट का मौन धारण शोक संवेदना व्यक्त की गयी।

**पुलिस स्मृति दिवस:-** 21 अक्टूबर 1959 का दिन था, लद्दाख के हॉट-स्प्रिंग के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पेट्रोलिंग पार्टी के तीन ऑफिसर्स को भारत-तिब्बत बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने अपनी हिरासत में ले लिया, अगले दिन जब उनकी तलाश में सीआरपीएफ की टीम गई तो उन पर पहले से घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीआरपीएफ के जवानों ने भी उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया लेकिन

उस अचानक हुए हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए तथा सात अन्य जवान घायल हो गए, उसी दिन से उन 10 वीर सीआरपीएफ जवानों की शहादत को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इस दौरान श्रीमती वन्दना सिंह- अपर पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक दुबे- क्षेत्राधिकारी नगर, श्रीमती हर्षिता गंगवार- क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गौड़- क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री शिवकुमार- प्रतिसार निरीक्षक, श्री अरविन्द सिंह गौर- पीआरओ सहित जनपदीय पुलिस के समस्त थाना प्रभारी, समस्त शाखा प्रभारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।



## अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5 के तहत आज दिनांक- 21.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा मुख्यालय महोबा अवस्थित सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इण्टर कालेज महोबा में महिला सशक्तिकरण हेतु एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जागरूकता कार्यशाला के दौरान स्कूली छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण से ओतप्रोत कार्यक्रम जैसे- कोमल है, कमजोर नहीं तू...शक्ति का नाम ही "नारी" है जैसे गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 तहत आयोजित जागरूकता पाठशाला में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन एवं नारी सशक्तिकरण हेतु उपस्थित स्कूली छात्राओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक कर महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया व गुड टच एवं बैड टच तथा उनके अधिकारों व महिला सम्बन्धी अपराध से बचाव हेतु उपायों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। जागरूकता पम्पलेट का वितरण किया गया।

इस दौरान महिला थाना प्रभारी श्रीमती सुषमा चौधरी, स्कूली प्रिन्सिपल श्रीमती अर्चना वर्मा सहित स्कूली के शिक्षक, कोतवाली महोबा एवं महिला थाना मिशन शक्ति टीम सहित स्कूली छात्राएं मौजूद रही।



आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अग्निशमन टीम द्वारा आतिशबाज की दुकानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को परखा गया, सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी आने वाले धनतेरस एवं दीपावली पर्व के मद्देनजर जनपदवासियों को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराये जाने उद्देश्य से आज दिनांक- 21.10.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा आतिशबाजी विक्रय/निर्माण एवं भंडारण स्थलों का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया तथा आतिशबाजी/पटाखा विक्रय/भंडारण/निर्माण स्थलों पर उपस्थित दुकानदारों एवं स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों को चलाए जाने हेतु प्रशिक्षण/जानकारी दी गई तथा लाइसेंसिंग क्षमता के अनुसार रखे जाने हेतु निर्देशित करते हुए मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव क्रियाशील दशा में रखने हेतु निर्देशित करते हुए जागरुकता पंपलेट के माध्यम से जागरुक किया गया, इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरण लगाने हेतु एवं सुरक्षा के मानकों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आग दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके।



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।



**थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने लूट/चोरी की घटना को कारित करने की फिराक में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के 04 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस, चाकू सहित लूट/चोरी करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन बरामद हुए हैं...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद में लूट/चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 21.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई पुलिस टीम ने एक अच्छा सराहनीय कार्य करते हुए लूट/चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के 04 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, ये सभी अभियुक्त चोरी की घटना कारित करने के प्रयास में थे, इनके पास से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस, लोहे का सब्बल, लूट/चोरी करने के उपकरण सहित घटना में प्रयुक्त मो0सा0 एवं मोबाइल फोन की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद हमीरपुर व महोबा में पूर्व में भी लूट, चोरी, शस्त्र, अवैध शराब, गैरेस्टर एक्ट से सम्बन्धित कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जनपदीय पुलिस की इस सफलता से जनपद में एक बड़ी घटना को होने से पूर्व रोका जा सका है, जिससे आमजनमानस में जनपदीय पुलिस के प्रति विश्वास की वृद्धि हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त एवं उनके कब्जे से हुई बरामदगी का विवरण-**

1. हरीकिशन राजपूत उर्फ भूरा पुत्र परमेश्वरी दयाल उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम कुलेहड़ा थाना मझगवाँ जिला हमीरपुर के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज, एक अदद टार्च लाल व काला रंग की, एक अदद मोबाइल फोन एप्पल रंग नीला, एक सौ रूपये नगद।
2. प्रवीन राजपूत पुत्र हरीसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कुलेहड़ा थाना मझगवाँ जिला हमीरपुर के कब्जे से एक अदद लोहे की गुप्ती (चाकू), एक अदद चाभी का गुच्छा

3. निखिल राजपूत पुत्र देवेन्द्र राजपूत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जिला हमीरपुर के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज, एक अदद लोहे का सब्बल, एक अदद मोबाइल फोन रीयलमी रंग आसमानी व 50 रूपये नगद,

4. आशीष राजपूत पुत्र धर्मेन्द्र राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जिला हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद पेंचकस, एक अदद प्लास, एक अदद मोबाइल फोन रीयलमी रंग हल्का सिलवर व 10 रूपये नगद बरामद हुआ।

एक अदद मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स आशीष राजपूत की संख्या - UP 95 Q 0297 चेचिंस नं0- MBLHAW023KGF08691, इंजन नं0- HA11ENKGF08613 के प्रपत्र मौजूद न होने के कारण अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
2. उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा
3. कां0 अजय कोरी
4. का0 सौरभ सिंह
5. का0 अरुण यादव



## गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

### ● हरिकिशन राजपूत उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 31/2022 धारा 380/457 भादवि0 थाना कुलपहाड़ जिला महोबा
2. मु0अ0सं0 381/2022 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कोतवाली नगर महोबा
3. मु0अ0सं0 215/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पनवाड़ी जिला महोबा
4. मु0अ0सं0 68/2023 धारा 392/411/427/506 भादवि0 थाना जरिया जिला हमीरपुर
5. मु0अ0सं0 250/2023 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना जरिया जिला हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 11/2022 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना जरिया जिला हमीरपुर
7. मु0अ0सं0 26/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा जिला हमीरपुर
8. मु0अ0सं0 193/2023 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना राठ जिला हमीरपुर
9. मु0अ0सं0 385/2022 धारा 380/457 भादवि0 थाना राठ जिला हमीरपुर
10. मु0अ0सं0 398/2022 धारा 380/457 भादवि0 थाना राठ जिला हमीरपुर
11. मु0अ0सं0 468/2022 धारा 392/411/504/506 भादवि0 थाना राठ जिला हमीरपुर
12. मु0अ0सं0 476/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना राठ जिला हमीरपुर
13. मु0अ0सं0 477/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जिला हमीरपुर
14. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 313 बीएनएस थाना महोबकंठ जिला महोबा
15. मु0अ0सं0- 198/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ जिला महोबा

### ● अभियुक्त निखिल राजपूत का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 170/2022 धारा 3/25 ए एक्ट थाना जरिया हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 30/2024 धारा 3/25 ए एक्ट थाना राठ हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना राठ हमीरपुर
4. मु0अ0सं0 173/2024 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना राठ हमीरपुर
5. मु0अ0सं0 291/2024 धारा 3/25 ए एक्ट, 120बी/307/506 भादवि0 थाना राठ हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 637/2023 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना राठ हमीरपुर
7. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 313 बीएनएस थाना महोबकंठ जिला महोबा
8. मु0अ0सं0- 200/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ जिला महोबा

### ● अभियुक्त प्रवीण राजपूत का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 92/2022 धारा 394/41/467/468/471 भादवि0 थाना कुलपहाड़ जिला महोबा
2. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 313 बीएनएस थाना महोबकंठ जिला महोबा
3. मु0अ0सं0- 199/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ जिला महोबा



**थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध अतिशबाजी का परिवहन तथा भण्डारण करने वाले 02 नफर अभियुक्तों किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में (अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये) अवैध निर्मित अतिशबाजी की गयी बरामद ।**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु अवैध बारुद का परिवहन, भण्डारण करने वाले तथा इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा मय पुलिस टीम के साथ मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के मुहल्ला नैकानापुरा से 02 नफर अभियुक्तों को क्रमशः 1. पुष्पेन्द्र गुप्ता पुत्र गजाधर प्रसाद गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी मुहल्ला नैकानापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा व 2. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र गजाधर प्रसाद गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी मुहल्ला नैकानापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से कुल 31 बोरी व 16 कार्टून में कुल 887.85 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री नजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 533/24 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया। विस्फोटक सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र गजाधर प्रसाद गुप्ता उम्र करीब 37 वर्ष
2. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र गजाधर प्रसाद गुप्ता उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण नैकानापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. नरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी इन्चार्ज भटीपुरा
3. का0 मुकेश सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
4. का0 प्रवीण कुमार यादव थाना कोतवाली नगर महोबा

**बरामदगी-** 31 बोरी व 16 कार्टून में कुल **887.85** किलोग्राम विस्फोटक सामग्री नजायज बरामद





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 21.10.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

